(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART-IV EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
LAND & BUILDING DEPARTMENT
LAND ACQUISITION BRANCH
VIKAS BHAWAN,I.T.O, NEW DELHI

No.F.8/2/15/L&B/LA 15627 Dated: 23/02/2017

NOTIFICATION

Whereas, a Notification under clause (e) of sub- section 1 of section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), was issued vide notification No. 8/2/15/L&B/LA/10621 dated. 28/8/2015 for acquisition of land for public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) generated from the inhabitants of the Tikri Kalan Village and adjoining areas;

And Whereas, as per sub-Section (7) of section 19 of the said Act, the declaration u/s 19 of this Act is to be issued within a period of 12 months from the date of publication of preliminary notification,

And whereas, a proposal was received from concerned district for extension of time in issuance for declaration u/s 19 of the Act, which was approved by Lt. Governor of Delhi and time for declaration was extended for Six (6) months, and whereas a proposal has again received from District(West) for another extension of time by Six(6) months.

Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District and in the exercise of powers conferred under proviso of Sub- Section 7 of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, is pleased to extend the time for issuance of declaration under section 19 of the said Act by a period of six months i.e. upto 27th August 2017.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,

National Capital Territory of Delhi.

ALOK SHARMA
Dy.Secretary(L&B)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग
भूमि अधिग्रहण शाखा
बी–ब्लाकः विकास भवन, नई दिल्ली

स.फ. .8/2/16/एल एडं बी/एल ए. 15627 दिनांक 23/02/2017

अधिसूचना

जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियमए २०१३ (२०१३ का ३०) की धारा १०अ की उपधारा (१) के खंड (ङ) के अंतरगत जारी अधिसूचना नंबर 8/2/15/एल एंड बी/एल ए/10621 दिनांक 28/8/2015 के द्वारा जन कार्यों के लिए गांव टिकरी कलां तथा सम्बन्ध क्षेत्रो में अपशिष्ट जल शोधक सयंत्र के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी ।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (७) के अनुसार इस अधिनियम की धारा १९ के अधीन घोषणा प्राथमिक अधिसूचना के जारी होने से १२ महीने के अंदर जारी होनी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा १९ के अंतरगत घोषणा जारी करने के लिये सम्बंधित जिले से समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा धारा १९ की अधिसूचना का समय ६ माह के लिये माननीय उप राज्यपाल दिल्ली का आदेश पर बढ़ा दिया था।

और जबकि जिला पश्चिम से यह अवधि और छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

इसलिए, अब उपयुक्त सरकार जिले के अनुरोध पर विचार करते हुए तथा उक्त भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ की उपधारा १९ के अंतरगत घोषणा जारी करने की अवधि को छह माह बढ़ाने की अनुमति प्रदान करती है अर्थार्थ २७ अगस्त २०१७ तक।

राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश और उनके नाम पर

(आलोक शर्मा)
उप.सचिव (भूमि एवं भवन)